तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/6312/2006/हनुमानगढ नौरंगलाल बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री एस.के. जोशी, अधिवक्ता, अपीलान्ट
श्री लोकेन्द्रसिंह राणावत, उप राजकीय अधिवक्ता
प्रत्यर्थी सरकार

निर्णय

दिनांक 24.09.2020

अपीलान्ट ने यह अपील धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ द्वारा अपील संख्या–90/2005 में पारित निर्णय दिनांक 19–08–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी एवं आवंटन अधिकारी, नोहर के समक्ष रोही मौजा किंकराली स्थित आराजी खसरा नम्बर 99 की 15 बीघा एवं खसरा नम्बर 163 की 10बीघा भूमि के नियमन एवं आवंटन हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 29–11–2005 से खारिज कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध प्रार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 19–8–2006 से खारिज कर दी। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की सुनी।

योग्य अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/6312/2006/हनुमानगढ नौरंगलाल बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधीनस्थ दोनों न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि कानूनन गोचर भूमि नियमन किये जाने योग्य होती है तथा पायतन भूमि आवंटन योग्य होती है, जो कि राजस्थान उपनिवेशन (भाखरा क्षेत्र में राजकीयभूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के अनुसार प्रथम अपीलीय न्यायालय ने माना है जबकि विचारण न्यायालय ने तो किसी भी कानूनी प्रावधान का अवलोकन नहीं किया। उनका कथन है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों का अवलोकन करने एवं सम्वत् 2002 के प्रीपत्र संशोधन को स्वीकार करने के पश्चात् भी अपील को निरस्त किया है जबकि उनको उक्त प्रकरण रिमाण्ड करना चाहिए था। उनका कथन है कि विवादित भूमि पर अपीलार्थी करीब 30 साल से काबिज काश्त है तथा अपीलार्थी भूमिहीन कृषक है। उनका कथन है कि विवादित भूमि बारानी है जिस पर भाखरा आवंटन नियम एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम एवं उसके अधीन बने नियम लागू होते है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों एवं विधिक स्थिति की अनदेखी करते हुए निगराधीन निर्णय पारित किये गये है, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निगराधीन निर्णयों को निरस्त किया जावे तथा प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वे अपीलार्थी की पात्रता आदि की जांच कर विवादित आराजी का आवंटन / नियमन बाबत् आदेश पारित करें। योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत् निर्णय पारित	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/6312/2006/हनुमानगढ नौरंगलाल बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयोंके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी एवं आवंटन अधिकारी, नोहर के समक्ष रोही मौजा किंकराली स्थित आराजी खसरा नम्बर 99 की 15 बीघा एवं खसरा नम्बर 163 की 10बीघा भूमि के नियमन एवं आवंटन हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 29-11-2005 से खारिज कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध प्रार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 19-8-2006 से खारिज कर दी। साथ ही नियमों में जोहड पायतन की भूमि का आवंटन / नियमन के प्रावधानानुसार खसरा नम्बर 99 की 15बीघा भूमि हेतु अगर अपीलार्थी पात्रता रखता है एवं नियमानुसार विवादित भूमि का अपीलार्थी कके नाम से नियमन किया जा सकता हो तो अपीलार्थी सक्षम अधिकारी के समक्ष विवादित भूमि खसरा नम्बर 99 की 15बीघा भूमि की हद तक राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ-3(29)कोलो/86 दिनांक 26-11-2002 के अनुसरण में नियम हेतु कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है, के भी निर्देश प्रदान किये गये है। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने हमारे समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य अथवा नियम प्रस्तुत नहीं किये गये है जिससे गोचर भूमि खसरा नम्बर 163 की 10बीघा भूमि आवंटन/नियमन योग्य हो। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा जोहड पायतन की भूमि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/6312/2006/हनुमानगढ नौरंगलाल बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बाबत् अपीलार्थी को निर्देशित किया गया है तथा गोचर भूमि आवंटन एवं नियमन योग्य नहीं होने से विधिसम्मत् आदेश पारित किया है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत् निर्णय पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारीज की जाकर अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय यथावत रखे जाते है। निर्णय प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सुनील कुमार शर्मा)** **सदस्य**	